न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 04 / 11 दायरा दिनांक 13.01.2011

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रमाबाई बेवा रघुवीर प्रसाद जाति ब्राहामण निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां
2. हुकमदत्त पुत्र रघुवीर प्रसाद जाति ब्राहामण निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां
3. खुशरंजन पुत्र रघुवीर प्रसाद जाति ब्राहामण निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बृजा जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहबाद जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

निर्णय दिनांक 24-03-2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 5 बीघा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद का आवंटन दिनांक 09.06.2000 को आवंटन सलाहकार समिति वमुकाम शुभघरा द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 को सर्वथा गलत तौर पर विधि एवं नियम विरूद्ध किया गया है, जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा दिनांक 23.06.19[illegible] को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी क्रम 1 के पति 2, 3 के पिता रघुवीर प्रसाद पुत्र मोहन प्रसाद जाति ब्राहामण निवासी शाहबाद के हक में आवंटन की गई थी, जो रघुवीर प्रसाद की मृत्यु उपरान्त आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम खुशालपुरा से इस्तीफा लिया जाकर उसके एवज में आवंटन की गई थी और आवंटन पश्चात् विधिवत आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा पर दखल व कब्जा संभलाया जाकर नामान्तरकरण नम्बर 207 से गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तभी से उक्त आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी रघुवीर प्रसाद तथा आवंटी रघुवीर प्रसाद की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण जायज वारिश होकर निरन्तर काबिज हो बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करते चले आ रहे है।

वक्त आवंटन उक्त आवंटनशुदा आराजी सहित खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालुपरा विवादित थी, जिसका विवाद माननीय राजस्व न्यायालयों में जैरकार था और उक्त आवंटनशुदा भूमि न्यायालयों के निर्णय आधीन होने से आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इसके बाबजूद भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 को सर्वथा गलत तौर पर अवैधानिक रूप से दिनांक 09.06.2000 को आवंटन कर दी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आवंटनशुदा आराजी सहित खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा दिनांक 23.06.1989 को प्रार्थी क्रम 1 के पति 2 व 3 के पिता रघुवीर प्रसाद को विधिवत आवंटन कर दखल व कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण 207 से गैरखातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये तभी से उक्त भूमि निरन्तर आवंटी रघुवीर प्रसाद ततपश्चात प्रार्थीगण काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है, जबकि अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त भूमि पर आज तक कभी भी एक क्षण मात्र भी न तो कब्जा रहा है और न ही काश्त की है। इस प्रकार उक्त आराजी पर आवंटन दिनांक 23.06.1989 से निरन्तर आज तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होते हुऐ भी भूमि की मौका स्थिति तथा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना उक्त भूमि नियम विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन कर दी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 ने आज तक आवंटन नियम व शर्तो की कोई पालना नहीं की है, इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा वक्त प्रश्नगत आवंटन आराजी खसरा नम्बर 604 ग्राम शुभघरा के आवंटन हेतु प्रार्थना की गई थी इसके बाबजूद भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 604 ग्राम खुशालपुरा की मौका स्थिति तथा रिकार्ड की अनदेखी कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण भूमिहीन कृषक है तथा आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा प्रार्थीगण तथा परिवार उदरपूर्ति का एक मात्र सहारा है, जबकि अप्रार्थीगण के खाते में अन्य बहुत सी कृषि भूमि स्थिति है, इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

वक्त प्रश्नगत आवंटन उक्त आवंटनशुदा भूमि सहित आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा पर अप्रार्थीगण का दिनांक 23.06.1989 से निरन्तर आज तक कब्जा काश्त होने से भूमि अनओक्यूपाइड लेण्ड थी और आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी इस तथ्य को छुपाते हुये अप्रार्थीगण ने आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर कपट पूर्वक प्रश्नगत आवंटन कराया है, इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस में बताया कि ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद की आराजी ख.नं. 604 रकबा 5.00 बीघा आवंटन कमेटी शुभघरा द्वारा दिनांक 09.06.2000 को अप्रार्थी क्रम 1 के हक में सर्वथा गलत तौर पर नियम विरूद्ध आवंटन की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद की आराजी ख.नं. 604 के कुल रकबा 37.10 बीघा सिवायचक में से 10.00 बीघा भूमि दिनांक 23.06.1989 को प्रार्थी क्रम 1 के पति व 2,3 के पिता रघुवीर प्रसाद के हक में विधिवत आवंटन की जाकर दखल व कब्जा संभलाया गया है, तत्पश्चात आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में नामान्तरकरण नं. 207 से विधिवत प्रार्थीगण के पति व पिता रघुवीर प्रसाद के नाम गैरखातेदारी दर्ज की गई है, तभी से निरन्तर आजतक उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी, इस कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण के पति/पिता रघुवीर प्रसाद को पूर्व में ख.नं. 682 की 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई थी, जिससे इस्तीफा लिया जाकर उसी के एवज में कब्जा काश्त के आधार पर ख.नं. 604 की 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई है। प्रार्थीगण के पति/पिता रघुवीर प्रसाद को ख.नं. 604 की 10.00 बीघा भूमि कब्जा काश्त के आधार पर विधिवत आवंटन की जाकर दखल कब्जा पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैर खातेदारी दर्ज की गई है। तब से निरन्तर आजतक उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पति/पिता रघुवीर प्रसाद ततपश्चात प्रार्थीगण ही काबिज काश्त रहें है, जो आज भी है। प्रार्थीगण को आजतक विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया है और अप्रार्थीगण को आजतक भौतिक रूप से दखल नहीं दिया गया है। अर्थात् अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर आज तक एक क्षण को भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्तनीय है। वक्त आवंटन उक्त आवंटनशुदा भूमि को लेकर विवाद माननीय अपर राजस्व न्यायालयों में चलकर था और आवंटनशुदा भूमि न्यायालयों के निर्णयाधीन होने से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होकर विवादित थी, इसके बावजूद भी आवंटन कमेटी द्वारा रिकॉर्ड तथा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना प्रश्नगत आवंटन किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रार्थीगण के पति/पिता रघुवीर प्रसाद के हक में कब्जा काश्त के आधार पर दिनांक 23.06.1989 को विधिवत आवंटन की जाकर दखल व कब्जा संभलाया गया है, आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी दर्ज की गई है भूमि पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का कब्जा काश्त दर्ज है, रिकार्डली प्रार्थी 30 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त है और माननीय न्यायालय से नियमन हेतु सिफारिस का हकदार है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि अपीलान्ट को दिनांक 23.06.1989 को आवंटन हुआ जो ए. डी.एम. शाहबाद के आदेश दिनांक 28.06.1990 से निरस्त किया गया। भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई, फिर अप्रार्थी को 2006 में आवंटित हो गई। इसकी अपील आर.एए. में कि आर.एए. में रिमाण्ड कर दिया, आर.एए. के आदेश में एस.डी.ओ. शाहबाद द्वारा सुनवाई का निर्णय 14.01.1995 में जारी किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा कि लक्ष्मीकान्त, सोमदत्त, रघुवीर प्रसाद पिता मोहन प्रसाद तीन भाई हैं खुशालपुरा के खसरा नम्बर 682 में 10–10 बीघा भूमि 02.06.1989 को आवंटित की गई, काबिल काश्त नहीं होने से तीनों भाईयों ने भूमि छोड दी फिर तीनों को उसकी एवज में खसरा नम्बर 604 कुल रकबा 37.00 बीघा में से दिनांक 23.06.1989 को 10–10 बीघा भूमि आवंटित की गई। मौके पर कब्जा दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 207 रघुवीर प्रसाद, नामान्तरकरण संख्या 209 सोमदत्त, नामान्तरकरण संख्या 208 लक्ष्मीकान्त उक्त तीनों की गैर खातेदारी दर्ज की गई। तब से कब्जा काश्त हैं, तीनों में से रघुवीर प्रसाद फौत हो गया जिनके एल.आर. हैं दिनांक 23.06.1989 को तत्कालीन पटवारी ने 14(4) का प्रार्थना पत्र 74/89 पेश किया इस पर दिनांक 28.06.1990 को ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर तीनों के आवंटन को निरस्त कर दिया। आर.एए. प्रकरण संख्या 666/90 अपील पेश की निर्णय दिनांक 23.03.1991 से एस.डी.ओ. शाहबाद को निर्देशित करते हुये रिमाण्ड किया, एस.डी.ओ. ने 14.01. 1999 को निर्णय पारित किया कि सहवन से रिमाण्ड किया जिसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से दाखिल दफ्तर कर दिया। एस.डी.ओ. के निर्णय के विरूद्ध आर.एए. कोटा को अपील पेश की । तब आर.एए. ने दिनांक 21.05.1999 को निर्णय/ अपने पूर्व निर्णय की पालना न करने पर एस.डी.ओ. को दोषी माना व पूर्ण निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगें। फिर एस.डी.ओ. ने दिनांक 18.05.2000 को निर्णय में ए.डी.एम. शाहबाद के निर्णय को सही माना दिनांक 18.05.2000 के विरूद्ध आर.एए. कोटा में अपील की जिस पर दिनांक 16.12.2000 को अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध आर.एए./ रेवन्यू बोर्ड अजमेर में अपील की निर्णय दिनांक 16.12.2000 व एस.डी.ओ. शाहबाद का निर्णय दिनांक 18.12. 2000 को निरस्त करते हुये रिमाण्ड किया। विधिवत सुनवाई कर ए.डी.एम. शाहबाद दिनांक 20.12.2006 को निर्णय करते हुये दिनांक 23.06.1989 के आवंटन को [illegible] कर दिया। इसके निर्णय के विरूद्ध फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

आर.एए. कोटा में अपील की दिनांक 20.10.2007 के निर्णय में अपील खारिज कर दी बांकी आवंटन खारिज कर दिया। दिनांक 17.05.2006 को अप्रार्थीगण को आवंटित कर दिया फिर भी हमारा कब्जा काश्त है। फिर भी अन्य को बिना रिकार्ड व भूमि की स्थिति के देखे कोर्ट के निर्णयाधीन थी आवंटित कर दी। धारा 91 एल.आर.एक्ट. के नोटिस भी हैं, मौका रिपोर्ट से भी हमारा कब्जा काश्त है। भौतिक रूप से कभी बेदखल नहीं किया तथा जिनको जमीन आवंटित की उनको भौतिक रूप से कब्जा दिया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.2000 को अप्रार्थी रामजीलाल पुत्र बृजा जाति सहरिया निवासी शुभघरा को ग्राम खुशालपुरा की आराजी खसरा नं. 604 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested